

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा सैक्टर 17, प्लॉट नं0 2 पंचकुला।
2. उपायुक्त, करनाल।
3. उप मण्डल अधिकारी, करनाल, असंध तथा इन्द्री।
4. जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी, करनाल।
5. प्रधानाचार्य, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी।
6. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान, भिवानी।
7. खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, करनाल, जिला करनाल।
8. कानूनी अधिकारी, (पंचायत) जिला करनाल।

क्रमांक ई0सी0ए0-5-2015/24295-302 दिनांक: 15-4-15

विषय:- ग्राम पंचायतों के गठन सम्बन्धी अधिसूचना भेजने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको इस विभाग की अधिसूचना संख्या का0आ0 65/ह0अ0 11/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 08.04.2015 की प्रति नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- अधिसूचना।

Anand Kumar

अधीक्षक (चुनाव)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

(Signature)

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
अधिसूचना

दिनांक 8 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ0 65/ह0अ011/1994/घा0 8 व 7/2015.-हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत छप्परा जागीर, खण्ड करनाल, जिला करनाल के सभा क्षेत्र से गांव छप्परा खेड़ा के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित छप्परा खेड़ा के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची			
खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
करनाल	करनाल	छप्परा खेड़ा (हदबस्त संख्या 91)	छप्परा खेड़ा

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 8th April, 2015

No. S.O. 65/H A11/1994/S 8 & 7/2015.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Chapra Khera from the sabha area of Gram Panchayat Chapra Jagir, block Karnal, district Karnal and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Chapra Khera as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:-

Schedule			
Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Karnal	Karnal	Chapra Khera (Hadbast Number 91)	Chapra Khera

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.